



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, E-mail: Info@upavp.com.



पत्र सं०- 1374, 1368

सं०प्र० / पंजी०/PMAY / (2021)

दिनांक- 06/10/2023

पात्रता चयन/ नम्बरिंग ड्रा हेतु आवश्यक सूचना

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत पात्रता चयन/ नम्बरिंग ड्रा परिषद नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है:-

योजना का नाम	सम्पत्ति	समय व तिथि	पात्रता स्थल का नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ग्राम कनकहा मोहनलालगंज लखनऊ में पंजीकरण दिनांक 09.03.2019 से 06.05.2021 तक, दिनांक 01.09.2020 से 15.10.2020 एवं दिनांक 27.01.2022 से 26.02.2022 तक	1344 नग (जी+3) प्रकार	दिनांक 30.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक	अवध शिल्प ग्राम परिसर अवध विहार योजना लखनऊ
जनपद- गोण्डा सिविल लाइन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) गोण्डा में पंजीकरण दिनांक 01.09.2020 से 15.11.2020 एवं दिनांक 01.12.2021 से 31.12.2021 तक	391 नग (जी+3) प्रकार	दिनांक 30.10.2023 प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक	सामुदायिक केन्द्र उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद गोण्डा

- नोट-1.** पंजीकृत आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित है। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति है तो दिनांक: **-25.10.2023** तक साक्ष्य सहित क्षेत्रीय सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें उक्त तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त निर्धारित तिथि पर पात्र आवेदक लाट्री ड्रा समयानुसार ऑनलाइन / ऑफलाइन पंजीकरण की प्रति एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आई.डी. कार्ड आदि) के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं।
 - पात्रता चयन/ नम्बरिंग ड्रा के उपरांत परिणाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in (Public Notice) पर यथा सम्भव प्रसारित किया जायेगा।
 - किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

आवास आयुक्त

टोल-फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803



UPHDBHQ

www.upavp.in